



Neutral Citation No. - 2026:AHC:36125

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1560 वर्ष 2026

अविनाश सागर

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता

: प्रशांत मिश्रा

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. श्री प्रशांत मिश्रा, याची के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री राहुल मालवीय, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. इस न्यायालय ने दिनांक 04.01.2026 को रिट याचिका पर विचार करते हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता से निर्देश प्राप्त करने हेतु प्रकरण को ग्रहण किया था।
3. आज दिनांक 17.02.2026 को राज्य कर अधिकारी, ब्लॉक-3, गोरखपुर के हस्ताक्षरों से युक्त निर्देश इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिन्हें अभिलेख पर लिया जाता है तथा परिशिष्ट 'क' के रूप में अंकित किया जाता है।
4. श्री राहुल मालवीय, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह कथन किया कि वे प्रस्तुत निर्देशों से पूर्णतः अवगत हैं तथा वाद पर बहस करने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं किया तथा यह भी निवेदन किया कि अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही रिट याचिका का निस्तारण किया जाए।
5. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही किया जा रहा है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

6. याची का कथन है कि उसने दिनांक 01.07.2022 को मोबाइल स्क्वाड, गोण्डा में विक्रय कर अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, तत्पश्चात उसका स्थानांतरण गोरखपुर में राज्य कर अधिकारी, ब्लॉक-3 के रूप में किया गया। जब याची उक्त पद पर कार्यरत था, तब आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 04.08.2025 को एक आदेश पारित कर विभागीय जांच की प्रस्तावना में याची को निलंबित कर दिया गया।

7. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

8. इस न्यायालय ने दिनांक 04.02.2026 को रिट याचिका को ग्रहण करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

“याची के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि याची राज्य कर अधिकारी के रूप में जी.एस.टी. पंजीकरण प्रदान करने के संबंध में सक्षम अधिकारी है। दिनांक 12.02.2024 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 12.01.2025 को अनुमानित स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात दिनांक 15.02.2025 को याची द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया एवं संबंधित करदाता के विरुद्ध प्रतिकूल प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनांक 18.02.2025 को उक्त फर्म द्वारा कपटपूर्वक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का दावा किया गया। दिनांक 09.07.2025 को सहायक आयुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया तथा दिनांक 24.07.2025 को जी.एस.टी. पंजीकरण निरस्त कर दिया गया। याची के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जब याची द्वारा दिनांक 15.02.2025 को भौतिक निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया, तब उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कदाचार आरोपित नहीं किया जा सकता, विशेषतः जब प्रतिवेदन सहायक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका था तथा कारण बताओ नोटिस दिनांक 09.07.2025 को निर्गत हुआ और पंजीकरण दिनांक 24.07.2025 को निरस्त किया गया, जबकि दिनांक 18.02.2025 को ही आई.टी.सी. का दावा किया जा चुका था।

श्री राहुल मालवीय, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा निर्देश प्राप्त करने हेतु समय की प्रार्थना की गई।

प्रकरण को दिनांक 10.02.2026 को पुनः सूचीबद्ध किया जाए।”

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

9. याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निलंबन आदेश एक क्षण के लिए भी विधिसंगत नहीं ठहराया जा सकता। उनका कथन है कि जब याची राज्य कर अधिकारी, ब्लॉक-3, गोरखपुर के रूप में कार्यरत था, तब दिनेश एंटरप्राइजेज नामक फर्म, जो 56, अशोक नगर कॉलोनी, शनि देव मंदिर के समीप, नॉर्थ हुमायूँपुर, गोरखपुर स्थित है तथा लोहे, इस्पात एवं इंगट के व्यापार में संलग्न है, द्वारा दिनांक 12.12.2024 को जी.एस.टी. पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनांक 12.01.2025 को अनुमानित स्वीकृति प्रदान की गई तथा याची ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दिनांक 15.02.2025 को भौतिक सत्यापन कर उक्त फर्म को कपटपूर्ण बताते हुए प्रतिकूल प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके उपरांत भी दिनांक 18.02.2025 को उक्त फर्म द्वारा कपटपूर्वक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का दावा किया गया तथा दिनांक 09.07.2025 को सहायक आयुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया और अंततः दिनांक 24.07.2025 को जी.एस.टी. पंजीकरण निरस्त कर दिया गया। याची के अनुसार, इस प्रकार की परिस्थितियों में ऐसा कोई कदाचार नहीं बनता जो याची को निलंबित करने योग्य हो, विशेषतः जब याची ने अनुमानित स्वीकृति के पश्चात विधिवत स्थल निरीक्षण कर दिनांक 15.02.2025 को अपना प्रतिवेदन सहायक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात आवश्यक कार्यवाही करना सहायक आयुक्त का दायित्व था, परंतु कारण बताओ नोटिस दिनांक 09.07.2025 को निर्गत किया गया, जबकि उससे पूर्व दिनांक 18.02.2025 को ही कपटपूर्वक आई.टी.सी. का दावा किया जा चुका था और अंततः दिनांक 24.07.2025 को पंजीकरण निरस्त किया गया। याची के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि केवल भौतिक सत्यापन करने में हुई कथित विलंबता के आधार पर याची के विरुद्ध कदाचार आरोपित कर उसे निलंबित करना उचित नहीं है, विशेषतः जब याची द्वारा प्रतिकूल प्रतिवेदन दिनांक 15.02.2025 को प्रस्तुत किया जा चुका था तथा कारण बताओ नोटिस जारी करने में हुई देरी के लिए याची को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

10. श्री राहुल मालवीय, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का प्रतिवाद करते हुए निवेदन किया कि याची का दायित्व था कि वह समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निर्धारित समयसीमा के अनुसार भौतिक सत्यापन संपादित करता,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

तथापि वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि याची द्वारा दिनांक 15.02.2025 को प्रतिकूल प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 18.02.2025 को आई.टी.सी. का दावा किया गया और दिनांक 09.07.2025 को कारण बताओ नोटिस निर्गत हुआ तथा दिनांक 24.07.2025 को जी.एस.टी. पंजीकरण निरस्त किया गया।

11. बार में प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

12. प्रकरण के तथ्य विवादित नहीं हैं। यह भी विवादित नहीं है कि संबंधित समय पर याची राज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यरत था तथा करदाता द्वारा दिनांक 12.12.2024 को जी.एस.टी. पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया, जिसे दिनांक 12.01.2025 को अनुमानित स्वीकृति प्रदान की गई। याची द्वारा दिनांक 15.02.2025 को भौतिक निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जो उसी दिन सहायक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया, तथा दिनांक 18.02.2025 को कथित फर्जी फर्म द्वारा आई.टी.सी. का दावा किया गया। इसके उपरांत दिनांक 09.07.2025 को सहायक आयुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया तथा दिनांक 24.07.2025 को जी.एस.टी. पंजीकरण निरस्त कर दिया गया।

13. प्रथमदृष्ट्या, न्यायालय के मतानुसार, तिथियों एवं घटनाक्रम की श्रृंखला यह दर्शाती है कि दिनांक 15.02.2025 को याची द्वारा प्रतिकूल प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात ही दिनांक 18.02.2025 को कपटपूर्वक आई.टी.सी. का दावा किया गया।

14. तथापि, समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा आरोपों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, प्रथमदृष्ट्या यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि निलंबन आदेश को निरंतर बनाए रखना उचित नहीं है, विशेषतः जब उक्त आदेश दिनांक 04.08.2025 को पारित किया गया था। चूंकि आरोपपत्र दिनांक 01.08.2025 को पूर्व में ही निर्गत किया जा चुका है, अतः अब अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही संपादित की जानी अपेक्षित है। तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाता है:-

(ए) आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पारित दिनांक 04.08.2025 का निलंबन आदेश निरस्त किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

(बी) विभागीय कार्यवाही, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर पूर्ण की जाए।

(सी) चूंकि आज यह आदेश याची के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री राहुल मालवीय, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया है, अतः वे दिनांक 27.02.2026 तक इस आदेश की प्रति प्रत्यर्थी संख्या-2, आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(डी) जांच कार्यवाही दिनांक 27.02.2026 से तीन माह की अवधि के भीतर पूर्ण की जाएगी।

(ई) श्री प्रशांत मिश्रा, याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार यह कथन किया गया है कि याची विभागीय कार्यवाही में सहयोग करेगा तथा अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(एफ) तदनुसार, अनुशासनिक प्राधिकारी विभागीय कार्यवाही को अनावश्यक स्थगन दिए बिना पूर्ण करेगा तथा यदि स्थगन का अनुरोध किया जाता है तो वह केवल अपवादस्वरूप परिस्थितियों में ही, एक बार में अधिकतम सात दिवस की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा।

(जी) याची को दिनांक 04.08.2025 के निलंबन आदेश की तिथि से लेकर आज के आदेश पारित होने की तिथि तक, नियमों के अनुपालन के अधीन, निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

15. उपर्युक्त अवलोकनों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

दिनांक : 18 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”